

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462023

दूरभाष:- 0755-2583650 ईमेल - trg.acrmsa2021@gmail.com

क्रमांक/अकादमिक/APAAR/NcrF/2024/1927

भोपाल, दिनांक:- 28/11/24

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले, म.प्र.

विषय:- UDISE पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थायी शैक्षणिक ID (APAAR) ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट रजिस्ट्री के निर्माण हेतु मेगा अपार दिवस मनाए जाने के संबंध में।

- संदर्भ:-1. भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पत्र क्रमांक D.O.No.23-4/2023-stats दिनांक 11 अक्टूबर 2023 तथा D.O.No.1-7 2023 V-Section 27 दिसंबर 2023
2. D.O.No.1-27/2023-DIGED-Part(1) 2 सितंबर 2024 तथा पत्र क्रमांक/1-27/2023 12 सितंबर 2024 तथा D.O.No.1-27/2023-DIGED-Part(1) 27 नवंबर 2024
3. लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक/अकादमिक/APAAR/NcrF/2024/2633/दिनांक 04.09.2024
4. राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आई.सी.टी./2024-25/5266 दिनांक 18.11.2024

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार UDISE पोर्टल पर आधारित कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत छात्रों की Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR) ID बनाई जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

1. APAAR ID बनाए जाने संबंधी कार्यवाही करने हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जिला APAAR नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
2. APAAR ID छात्रों की उपलब्धियों जैसे- परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, छात्रवृत्ति, सीखने के परिणामों के अलावा छात्रों की अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में सहायक हैं तथा छात्र NcrF के माध्यम से अपने क्रेडिट स्कोर को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
3. APAAR ID निर्माण का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए APAAR ID निर्माण की प्रक्रिया को और तेज करने तथा नियमित रूप से APAAR ID निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने की नितांत आवश्यकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले के समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में दिनांक 09 एवं 10 दिसंबर 2024 को "मेगा अपार दिवस" मनाए जाने की व्यवस्था करें तथा उक्त दिनांक तक संपूर्ण विद्यार्थियों की APAAR ID बनाया जाना सुनिश्चित करें जिसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर से की जाएगी।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की भी यथा शीघ्र मीटिंग आयोजित कर अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आई.डी. निर्माण के कार्य को संपन्न कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त विद्यालयों को सुनिश्चित करना होगा कि APAAR ID निर्माण के साथ-साथ डिजीलॉकर में संग्रहित APAAR ID के प्रिंट आउट विद्यार्थियों/अभिभावकों को उपलब्ध कराएं।

आगामी सप्ताह में APAAR ID के कार्य के प्रगति की समीक्षा ऑनलाईन मीटिंग के माध्यम से की जाएगी जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी।

नोट:- आगामी अकादमिक सत्र से समस्त विद्यार्थियों का डाटा इसी **APAAR ID** के माध्यम से संधारित किया जाएगा, अतः इस कार्य को गंभीरता से किया जाना सुनिश्चित करें।

(शिल्पा गुप्ता) 28/11/24

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.



क्रमांक / अकादमिक / APAAR / NCrf / 2024 / 1928

भोपाल, दिनांक: 28/11/24

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र., भोपाल ।
5. कलेक्टर, संबंधित जिले की ओर सूचनार्थ ।
6. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संबंधित जिले के ए.डी.पी.सी. / संबंधित संस्था प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।


28/11
आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.